न्यायालय : अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी : गार्गी चौधरी, RJS

फौजदारी प्रकरण संख्या	:	372/2018
CIS संख्या	:	372/2018
CNR संख्या	:	RJSM020006392018
FIR NO. व पुलिस थाना	:	31/2018 पुलिस थाना मानटाउन

अपराध अन्तर्गत धारा **4/25** आयुध अधिनियम

भाग-प्रथम

A

परिवादी	पप्पू लाल पुत्र पून्याराम निवासी पनियाला पुलिस थाना मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर, ASI पुलिस थाना मानटाउन जिला सवाई माधोपुर
प्रस्तुतकर्ता	अभियोजन अधिकारी, सवाई माधोपुर
अभियुक्त का नाम व पता	दिलराज पुत्र हनुमान निवासी इटावा पुलिस थाना चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर
अधिवक्ता अभियुक्त	श्री गिर्राज सिंह गुर्जर

B

अपराध की दिनांक	23.01.2018
FIR की दिनांक	23.01.2018
आरोप पत्र प्रस्तुति की दिनांक	16.02.2018
आरोप विरचित किये जाने की दिनांक	09.01.2019
साक्ष्य प्रारंभ की दिनांक	09.01.2019
निर्णय दिनांक	13.07.2026

भाग-द्वितीय

अ- अभियोजन गवाहान

क्रम संख्या	नाम गवाहान	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह,

		अन्य गवाह)
पी.डब्ल्यू.1	लखन लाल	पुलिस गवाह
पी.डब्ल्यू.2	वीरसिंह	पुलिस गवाह
पी.डब्ल्यू.3	पप्पू लाल	परिवादी
पी.डब्ल्यू.4	शैलेंद्र सिंह	अनुसंधान अधिकारी

अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श

अ-अभियोजन प्रदर्शः-

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	**विवर**ण
1.	प्रदर्श पी.1	फर्द जप्ती तलवार
2.	प्रदर्श पी.2	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त
3.	प्रदर्श पी.3	फर्द जप्ती मोटरसाइकिल
4.	प्रदर्श पी.4	नक्शा मौका घटनास्थल
5.	प्रदर्श पी.5A	मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति
6.	प्रदर्श पी.6	तहरीरी रिपोर्ट
7.	प्रदर्श पी.7	चाक एफआईआर
8.	प्रदर्श पी.8	चिट पर्ची
9.	प्रदर्श पी.9	अभियोजन स्वीकृति
10.	प्रदर्श पी.10 व 11	रोजनामचा रपट

भौतिक वस्तुएं

क्रम संख्या	आर्टिकल	आर्टिकल का नाम
1.	आर्टिकल-1	तलवार

:: निर्णय :: दिनांक **: 13.07.2026**

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि दिनांक 23/01/2018 को एक तहरीरी रिपोर्ट पप्पू लाल एएसआई ने इस आशय की पेश की कि दिनांक 23-01-2018 को वह मय जाप्ता राम

भजन कानि. 291 व लखन लाल कानि. 429 मय प्राईवेट वाहन के मुताबिक निर्देश वास्ते करने गस्त व लोकल एवं स्पेशल एक्ट की कार्यवाही हेतु समय 07.10 PM पर ईलाका थाना रवाना हुआ एवं थाने से रवाना होकर गस्त बजरिया, रेल्वे स्टेशन गस्त करता हुआ खेरदा पहुंचा। जहां पर मुखबिर ने इत्तला दी की एक व्यक्ति धमूण रोड पर एक लोहे की नंगी धारदार तलवार लेकर अम्बेडकर कालोनी की तरफ मोटर साईकिल पर आ रहा है जो संगीन अपराध कारित की फिराक में है। उक्त सूचना पर वह मय हमराही जाप्ता खेरदा से रवाना होकर समय 07.45 पीएम पर धमूण रोड पर पहुंचा तो एक व्यक्ति मोटर साईकिल से आ रहा था जो बावर्दी पुलिस को देखकर मोटर साईकिल को छोडकर हाथ में लोहे की नंगी धारदार तलवार लेकर भागने लगा जिसे जाप्ते की मदद से घेरा देकर पकडा व नाम पता पूछा तो अपना नाम दिलराज पुत्र हनुमान निवासी ईटावा थाना चौथ का बरवाडा होना बताया जिसके दाहिने हाथ में एक नंगी तलवार लोहे की धारदार मिली जिसको अपने कब्जे में रखने बाबत् तलवार का लाईसेन्स व परमिट मांगा तो नहीं होना बताया ... इत्यादि। उक्त लिखित रिपोर्ट पर पुलिस थाना कोतवाली, सवाई माधोपुर में प्रकरण संख्या 31/2018, अंतर्गत धारा 4/25 आयुध अधिनियम में पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। बाद आवश्यक अनुसंधान उक्त मुलजिम के विरूद्ध धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के अपराध में जुर्म प्रमाणित पाये जाने पर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

2. मुलजिम को अपराध अंतर्गत धारा 4/25 आर्म्स एक्ट का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया एवं समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोप से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

3. अभियुक्त का परीक्षण अन्तर्गत धारा 313 जा.फौज. के तहत किया गया तो अभियुक्त ने समस्त अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बतलाया एवं कोई साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना प्रकट किया।

4. दौराने बहस अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत की गई प्रस्तुत की गई साक्ष्य के संबंध में विद्वान अभियोजन अधिकारी का यह तर्क रहा कि अभियुक्त की निशादेही से तलवार बरामद की गई है, जिसे मौके पर ही पुलिसकर्मियों द्वारा जब्त किया गया है। अभियुक्त को जरिए फर्द गिरफ्तारी गिरफ्तार किया गया एवं उक्त तथ्यों को अभियोजन पक्ष द्वारा मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से बखूबी साबित किया गया है। अतः अभियुक्त को उस पर आरोपित अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाकर उसे नियमानुसार दंड से दंडित किया जाए।

5. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का यह तर्क रहा है कि प्रकरण के अनुसंधान किए जाने में सभी साक्ष्य पुलिसकर्मियों की है जो भरोसे लायक न होकर संदेहास्पद कार्यवाही है। अभियुक्त के विरूद्ध जिस स्थान पर कार्यवाही की गई, वहां पर कोई स्वतंत्र गवाह नहीं बनाया गया तथा मनमाने तरीके से साक्ष्य एकत्रित कर अभियुक्त के विरूद्ध आनन-फानन में

यह मुकदमा तैयार कर दिया गया जो किसी भी प्रकार से अभियुक्त के विरूद्ध साबित नहीं हो सकता है, इसलिए अभियुक्त को उसके विरूद्ध लगाए गए आरोप में दोषमुक्त किया जावे।

6. पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का विवेचनात्मक अवलोकन किया गया। साथ ही अभियोजन अधिकारी व अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा न्यायालय के समक्ष रखे गए तर्कों पर गौर किया गया।

7. न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि "क्या दिनांक 23.01.2018 को रात्रि करीब 8 बजे मौजा अम्बेडकर कॉलोनी, खैरदा जिला सवाई माधोपुर से पुलिस जाप्ते ने अभियुक्त के कब्जे से एक धारदार तलवार नंगी लोहे की, को जप्त किया जिसे अपने कब्जे में रखने बाबत अभियुक्त के पास कोई वैध अनुज्ञा पत्र/लाइसेंस नहीं था।" इस प्रकार अभियुक्त द्वारा धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत दण्डनीय कृत्य किया गया है और यदि ऐसा है तो इसके लिए उचित दण्ड क्या है ?

8. अभियोजन पक्ष द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में कुल 04 गवाहान न्यायालय के समक्ष परीक्षित करवाये गये हैं। जिनमें सबसे महत्वपूर्ण गवाह स्वयं परिवादी पी.डब्ल्यू.3 पप्पू लाल के रूप में न्यायालय में परीक्षित हुआ है। जिसने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि दिनांक 23.01.2018 को वह पुलिस थाना मानटाउन पर एएसआई के पद पर पदस्थापित था। उक्त दिन वह, कानि. रामभजन एवं लखनलाल के साथ एक निजी वाहन से गश्त करता हुआ थाना से रवाना होकर खेरदा पहुँचा, जहाँ मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि एक व्यक्ति धारदार तलवार लेकर धमूण रोड, अम्बेडकर कॉलोनी की ओर मोटर साइकिल से आ रहा है। प्राप्त सूचना पर वह लगभग 07.45 बजे सायं धमूण रोड पहुँचा, जहाँ एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से आता हुआ दिखाई दिया, जिसके हाथ में धारदार तलवार थी। पुलिस को देखकर उक्त व्यक्ति भागने लगा, जिसे पुलिस जाप्ते की सहायता से पकड़ लिया गया। पूछताछ पर उसने अपना नाम दिलराज पुत्र हनुमान निवासी इटावा, थाना चौथ का बरवाड़ा बताया, जिसके कब्जे से लोहे की धारदार तलवार बरामद हुई। तलवार रखने बाबत उससे लाइसेंस पूछा गया, परंतु कोई लाइसेंस प्रस्तुत नहीं किया गया। तलवार को नापने पर उसके धारदार फल की लंबाई 2 फुट 4 इंच तथा मुठ की लंबाई 6.50 इंच पाई गई। फर्द जप्ती तलवार प्रदर्श पी-3 है, अभियुक्त की मोटरसाइकिल नम्बर आरजे-25-एसजे-7050 की फर्द जप्ती प्रदर्श पी-2 है, अभियुक्त की फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी-2 है, उसके द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जो प्रदर्श पी-6 है, चाक एफआईआर प्रदर्श पी-7 है, नक्शा मौका प्रदर्श पी-4 है, जप्तशुदा तलवार पर चिट पर्ची चस्पा थी, जो प्रदर्श पी-8 है, जिन पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। अधिवक्ता मुल्जिम द्वारा की गई जिरह में गवाह ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि जप्ती स्थल एक आबादी वाला क्षेत्र है जहां आवाजाही रहती है एवं फर्द जप्ती पर किसी भी स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर नहीं हैं। साथ ही गवाह

यह भी स्वीकार करता है कि तलवार पैक थी, इसलिए उसे नहीं पता कि तलवार में जंग लगी हुई थी अथवा नहीं।

9. जाप्ते के अन्य गवाह लखन लाल पी.ड.1 ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 23.01.2018 को वह पुलिस थाना मानटाउन पर कांस्टेबल के पद पर कार्यरत था। उक्त दिन वह पप्पू लाल एएसआई तथा रामभजन के साथ गश्त व नाकाबंदी हेतु सायं लगभग 07.00 बजे रवाना हुआ था। गश्त के दौरान पप्पूलाल को टेलीफोन के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति नंगी धारदार तलवार लेकर धमूण की ओर से मोटर साइकिल से आ रहा है। प्राप्त सूचना पर पुलिस जाप्ता धमूण रोड पहुँचा, जहाँ एक व्यक्ति मोटर साइकिल से आता हुआ दिखाई दिया। उक्त व्यक्ति ने पुलिस वाहन को देखकर अपनी मोटर साइकिल को पटक दिया तथा भागने का प्रयास किया, जिसे पुलिस जाप्ते की सहायता से रोककर पकड़ लिया गया। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम दिलराज मीना निवासी ईटावा होना बताया। उसके हाथ में एक धारदार तलवार थी। जब उससे उक्त तलवार के संबंध में लाइसेंस बाबत पूछा तो उसने कोई लाइसेंस होना नहीं बताया। फर्द जप्ती लोहे की धारदार तलवार प्रदर्श पी-1 है, फर्द गिरफ्तारी दिलराज प्रदर्श पी-2 है, फर्द जप्ती मोटर साइकिल प्रदर्श पी-3 है, नक्शा मौका प्रदर्श पी-4 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। अधिवक्ता मुल्जिम द्वारा की गई जिरह में गवाह ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि घटनास्थल धमूण जाने वाला आम रास्ता है जहां से काफी सारे वाहन गुजरते हैं एवं इस तथ्य को स्वीकार किया कि सभी फर्दात पर किसी भी स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर नहीं थे एवं अनुसंधान अधिकारी ने किसी भी स्वतंत्र गवाह के बयान नहीं लिये थे एवं नक्शा मौका घटना के दूसरे दिन बनाया गया था एवं नक्शा मौका पर किसी भी स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर नहीं हैं।

10. गवाह वीरसिंह पी.ड.2 ने अपने बयानों में कथन किया है कि दिनांक 23.01.2018 को वह पुलिस थाना मानटाउन पर हैड कानि. के पद पर कार्यरत था तथा उस समय मालखाना इन्चार्ज के रूप में भी नियुक्त था। उक्त दिन पप्पूलाल एएसआई द्वारा मु.नं. 31/2018 में जप्तशुदा लोहे की शील्डशुदा तलवार फर्दानुसार तथा एक मोटर साइकिल हीरो स्प्लेंडर प्लस नम्बर आरजे25 एसजे 7050 को मालखाना में जमा कराने हेतु प्रस्तुत किया गया, जिसे उसके द्वारा मालखाना रजिस्टर के मद नम्बर 310/16 पर विधिवत रूप से इन्द्राज किया गया। असल मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी-5 है तथा उसकी प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी-5ए है। अधिवक्ता मुल्जिम द्वारा की गई जिरह में गवाह ने कथन किया कि वे जो माल जमा करते हैं, उसमें सील्ड शुदा माल को खोलकर नहीं देखते एवं फर्द जप्ती के अनुसार ही जमा करते हैं जिसका रजिस्टर में इंद्राज किया जाता है।

11. प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी शैलेंद्र सिंह पी.ड.4 ने अपने मुख्य परीक्षण में सम्पूर्ण

अनुसंधान कार्यवाही की ताईद करते हुए अधिवक्ता मुल्जिम द्वारा की गई जिरह में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उसने किसी भी स्वतंत्र गवाह के बयान नहीं लिये एवं जिन गवाहों के बयान लिये, वे सभी पुलिसकर्मी हैं एवं मुलजिम से कोई बरामदगी नहीं की।

12. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त समस्त साक्ष्य का समग्र रूप से विवेचन किया जावे तो परिवादी पी.ड.3 पप्पू लाल ने दिनांक 23.01.2018 को खैरदा के पास, सवाई माधोपुर में अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध लोहे की धारदार तलवार बरामद किये जाने के तथ्य को साबित किया है एवं उसने लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी.6 को बखूबी साबित किया है। इस गवाह ने अपनी प्रति परीक्षा में ऐसी कोई साक्ष्य नहीं दी है जिससे उसके तथ्यों का खंडन होता हो। इसके अतिरिक्त गवाह ने थाने से रवाना होने व वापसी की रपट प्रदर्श पी.10 व 11 होना बताया। जिसमें रोजनामचा दिनांक 23.01.2018 को समय 7.45 PM संलग्न है, जिनके अवलोकन से जाहिर आता है कि परिवादी पप्पू लाल जब मय जाप्ते के गश्त हेतु जा रहा था तो खैरदा के पास आम रास्ते पर अभियुक्त का मोटरसाइकिल पर लोहे की नंगी धारदार तलवार के साथ मिलना एवं उक्त समस्त कार्यवाही मौका स्थल पर ही किया जाना कथित किया है। जाप्ते के ही अन्य गवाहान पी.ड.1 लखन लाल व पी.ड.2 वीरसिंह रहे हैं। जिन्होंने अपने न्यायालय के समक्ष हुये बयानों में परिवादी पी.ड.3 पप्पू लाल के बयानों की ताईद करते हुये दिनांक 23.01.2018 को खेरदा के पास अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध नंगी लोहे की धारदार तलवार बरामद किया जाना कथित किया है। उक्त दोनों ही गवाहान बरामदगी की कार्यवाही के गवाहान रहे हैं जिनमें पी.ड.1 लखन लाल व पी.ड.2 वीरसिंह ने फर्द जप्ती लोहे की धारदार तलवार प्रदर्श पी.1 होना एवं फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त प्रदर्श पी.2 होना एवं फर्द जप्ती मोटरसाइकिल प्रदर्श पी.2 पर अपने हस्ताक्षर होना कहा है, जिसका कोई खण्डन पत्रावली पर मौजूद नहीं है। हालांकि उक्त दोनों ही गवाहान पुलिसकर्मी रहे हैं, किन्तु इन दोनों ही गवाहान ने भी अभियुक्त के कब्जे से एक नंगी लोहे की धारदार तलवार को बरामद किया जाना और तत्पश्चात् अभियुक्त की गिरफ्तारी की कार्यवाही किया जाना बताया है और फर्द जप्ती व गिरफ्तारी पर अपने हस्ताक्षर होना भी इन गवाहान ने स्पष्ट किया है। हालांकि बरामदगी और गिरफ्तारी का कोई स्वतंत्र गवाह अभियोजन की ओर से परीक्षित नहीं कराया गया है, बल्कि कार्यवाही के दौरान उक्त कार्यवाही का कोई स्वतंत्र साक्षी बनाया ही नहीं गया है, किन्तु इसके संबंध में पी.ड.1 लखन लाल एवं पी.ड.2 वीरसिंह ने प्रति परीक्षा में स्पष्ट किया है कि कार्यवाही के समय कोई स्वतंत्र गवाह बनने को तैयार ही नहीं हुआ और यदि गश्त के दौरान अचानक अभियुक्त के कब्जे से कोई अवैध बरामदगी होती है तो यह आवश्यक नहीं है कि ऐसी कार्यवाही के स्वतंत्र गवाह का इन्तजार किया जावे और तत्पश्चात् कार्यवाही की जावे। जप्तशुदा हथियार अवैध लोहे की धारदार तलवार अचानक अभियुक्त के कब्जे से बरामद होना गवाहान के कथनों से स्पष्ट है। ऐसे

में यदि कोई स्वतंत्र साक्षी जप्ती और गिरफ्तारी की कार्यवाही का नहीं बनाया गया है तो इसका कोई विपरीत प्रभाव नहीं है। पुलिसकर्मी साक्षी केवल मात्र इस कारण असक्षम नहीं हो जाते हैं, क्योंकि वे पुलिसकर्मी हैं, बल्कि वे भी सामान्य व्यक्ति की तरह ही पूर्णतः सक्षम साक्षी हैं और जैसा कि अनुसंधान अधिकारी व जप्ती के दोनों ही गवाहान पी.ड.1 लखन लाल व पी.ड.2 वीरसिंह के कथनों का उल्लेख किया गया है और एक जैसे कथन किये गये हैं और अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध लोहे की धारदार तलवार की बरामदगी की कार्यवाही को न्यायालय के समक्ष साबित किया गया है। उक्त दोनों ही गवाहों की जिरह में कोई ऐसा तात्विक विरोधाभास प्रकट नहीं हुआ है जिससे उनके कथनों पर सन्देह उत्पन्न होता हो। नक्शा मौका इत्यादि अनुसंधान की कार्यवाही को भी गवाहान के कथनों से अभियोजन द्वारा साबित किया गया है।

13. ऐसी स्थिति में पत्रावली पर आयी समग्र साक्ष्य के उपरोक्तानुसार विधिसम्मत विवेचन से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है, कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के अपराध को युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में सफल रहा है। लिहाजा उक्त अभियुक्त उक्तानुसार दोषसिद्ध घोषित किये जाने योग्य पाया जाता है।

:: आदेश ::

14. अतः अभियुक्त दिलराज पुत्र हनुमान निवासी इटावा पुलिस थाना चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर को अपराध अन्तर्गत धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के अपराध में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

(गार्गी चौधरी**)**
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सवाई माधोपुर

दण्ड के बिन्दु पर:-

15. दण्ड के बिन्दु पर सुना गया। अभियोजन पक्ष की ओर से निवेदन किया गया है कि अभियुक्त को कडे दण्ड से दण्डित किया जावे। जबकि इसके विपरीत अभियुक्त की ओर से बहस की गई है कि अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है एवं उसके विरुद्ध पूर्व का भी कोई आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज नहीं है। अतः अभियुक्त को उक्त अपराध के लिए परीविक्षा का लाभ दिया जावे।

16. चूंकि अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व दोषसिद्धि की कोई साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नहीं है। अतः उसके प्रथम अपराध, अन्वीक्षा अवधि एवं उसकी अवस्था के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुये उसे परीविक्षा का लाभ दिया जाना उपयुक्त पाया जाता है।

:: दण्डादेश ::

17. अतः अभियुक्त दिलराज पुत्र हनुमान निवासी इटावा पुलिस थाना चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर को अपराध अन्तर्गत धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के अपराध में दोषसिद्धि के लिए उसे तत्काल किसी दण्ड से दण्डित नहीं किया जाकर अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 का लाभ देते हुये आदेश दिया जाता है कि अभियुक्त 1 साल की अवधि बाबत 10 हजार रूपये के जमानत मुचलके इस आशय के पेश कर तस्दीक करा लेता है कि वह उक्त अवधि में शांति एवं सदाचार बनाये रखेगा, अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा एवं न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर न्यायालय के समक्ष हाजिर हो जावेगा तो उसे परिवीक्षा पर छोड़ दिया जावे।

18. साथ ही अभियुक्त पर अपराधी परीविक्षा अधिनियम की धारा 5 के तहत 1000/-रूपये अभियोजन व्यय के रूप में अधिरोपित किये जाते हैं। अभियुक्त के इस न्यायालय में उपस्थिति बाबत पूर्व में पेश जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं। प्रकरण में जप्तशुदा अवैध नंगी धारदार तलवार को बाद गुजरने मियाद अपील रिवीजन नियमानुसार निस्तारण हेतु शस्त्रागार,सवाई माधोपुर को दिये जाने बाबत तहरीर जारी हो।

(गार्गी चौधरी**)**
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सवाई माधोपुर

19. निर्णय आज दिनांक 13.07.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(गार्गी चौधरी**)**
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सवाई माधोपुर